न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 35/2014
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2014/00258

वादी

मेवाराम पुत्र चुनीलाल
कौम घांची
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र चुनीलाल कौम घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
2. मगराज पुत्र चुनीलाल कौम घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
3. हड़मानाराम पुत्र धन्नाराम कौम विश्नोई निवासी कुड़ी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
4. निम्बाराम पुत्र धन्नाराम कौम जाट निवासी रामदेरिया तहसील बायतु
5. राणाराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा
6. उदयदान पुत्र पाबूदान जाति चारण निवासी रेवाड़ा बारठान तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
7. दलपतसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा
8. तुलसाराम पुत्र मेहराराम जाति जाट निवासी गुजरो की ढाणी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1.श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता वादी

2.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

3.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 8

4.प्रतिवादी संख्या 09 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 28·01·2026

1. संक्षिप्त में वाद–पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि मुतवफी चुनीलाल की खातेदारी भूमि ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 407 रकबा 19.18 बीघा भूमि अवस्थित थी। मुतवफी चुनीलाल के तीन पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। चुनीलाल ने अपने जीवनकाल मे अपनी स्वेच्छा से बक्सीसनामा दिनांक 23.7.2008 को 4.14 बीघा वादी के पक्ष मे निष्पादित करवाया गया था तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे भी दिनांक 22.7.2008 को 4.14 बीघा भूमि बक्सीस की गई थी। तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि मे से 4.16 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के सड़क निर्माण हेतु नाम दर्ज हुई। चुनीलाल के देहांत होने पर फौतदगी नामान्तकरण भरने के दौरान तत्कालीन राजस्व अधिकारी द्वारा वादी के पक्ष मे हो रखी बक्सीस को नजर अन्दाज करते हुए वादग्रस्त भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया,जो कि वादी के हितो के साथ कुठराधात हुआ है। अतं वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1049/407 रकबा 6.17 बीघा व खसरा संख्या 1071/407 रकबा 8.05 बीघा भूमि मे वादी को 5.09 बीघा भूमि का खातेदार घोषित करवाने एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पेश किया गया है।
2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री देवीसिंह महेचा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से वकालतनामा पेश कर वादी के वाद पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री पुनमाराम चौधरी द्वारा वकलतनामा पेश कर वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। वादी पक्ष की ओर से प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम का जवाब–बुल जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवादयक विरचित किए गए:–

तनकी संख्या 1:आया वादी खेत खसरा संख्या 1049/407 रकबा 6.17 बीघा व खसरा संख्या 1071/407 रकबा 8.05 बीघा कुल रकबा 15.02 बीघा भूमि मे से रकबा 5.09 बीघा भूमि अपने नाम घोषित कराने व प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेघाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे–वादी)

तनकी संख्या 2:–आया प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि मे फौतगी नामान्तकरण व पारिवारिक बंटवाड़ा अनुसार 1/3 हिस्से का अधिकारी है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 1)

तनकी संख्या 3:–आया प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की स्थाई निषेघाज्ञा पाने का अधिकारी है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2,प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त मे दंखल अंदाजी पैदा न करे ?

(जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 1)

तनकी संख्या 4:– अनुतोष ?

4. वादी की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह में PW-01 मेवाराम द्वारा बयानात कलमबद्व करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श 1–बख्सीसनामा दिनांक 23.7.2008 की प्रति,प्रदर्श 2–ग्राम बालोतरा की खसरा संख्या 1069/407 की जमाबंदी संवत 2069–2072 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 3–इसी ग्राम की खसरा संख्या 1071/407 की जमाबंदी संवत 2069–2072 की प्रमाणित प्रति व प्रदर्श 4ए –आपसी इकरारनामा की प्रति प्रदर्शित करवाए गए।
5. प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान मे DW-01 ओमप्रकाश द्वारा बयानात कलमबद्व करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श 1ए–आपसी पारिवारिक समझौता बंटवाड़ा प्रति,प्रदर्श 2 ए–सहमति पत्र चुन्नीलाल द्वारा दिया गया की प्रति,प्रदर्श 3ए–आपसी राजीनामा दिनांक 31.8.2007 की प्रति व प्रदर्श 4ए–वसीयतनामा आगे बहक ओमप्रकाश के पक्ष की प्रति प्रदर्शित करवाए गए।
6. उभय–पक्षकारान अधिवक्ताओ द्वारा अपनी अपनी ओर से लिखत बहस पेश की गई थी। तत्पश्चात उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने लिखित बहस के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया था,कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व एक वाद बाबत् अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आंशय का प्रस्तुत किया कि उसके पिता स्वर्गीय चुन्नीलाल की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 407 रकबा 19 बीघा 18 विस्वा सरहद मौजा बालोतरा में स्थित हैं। चुन्नीलाल ने उक्त कृषि भूमि में से 04 बीघा 14 विस्वा भूमि अपनी स्वेच्छा से जरिए पंजीकृत दान पत्र के दिनांक 23.07.2008 को बख्शीश की गई। उक्त बख्शीशनामें के अनुसार वादी उक्त 04 बीघा 14 विस्वा भूमि का बतौर खातेदार हैं,लेकिन हल्का पटवारी ने प्रतिवादी ओमप्रकाश से सांठ–गांठ कर चुन्नीलाल की मृत्यु के पश्चात् उनके तीन पुत्रो के नाम बहिस्सा बराबर फौतेदगी नामान्तकरण भर दिया। जिसका वादी को कोई ज्ञान नहीं होने दिया। उक्त वादग्रस्त भूमि में से वादी को किए गए रजिस्ट्रर्ड बख्शीशनामा के पश्चात् शेष बची भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने के कारण 04 बीघा 16 विस्वा भूमि अवाप्त की गई एवं उसमें से गैर मुमकिन सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से राजस्व रेकर्ड में अंकित की गई। उक्त भूमि में से शेष बची भूमि में से कुछ हिस्सा प्रतिवादी हनुमानराम, निम्बाराम, राणाराम, उदयराम, दलपतसिंह, और तुलछाराम को बेचान किये गये एवं राजस्व रेकर्ड में अलग से खसरा नम्बर बट्टों में अंकित किये गये। प्रतिवादी ओमप्रकाश द्वारा अपने हिस्से में से 600/270 कृषि भूमि का बेचान कान्तादेवी पत्नी लादाराम एवं उसने भी आगे वर्तमान खातेदार को बेचान कर दी हैं। इस प्रकार प्रतिवादी ओमप्रकाश के पास उसके जायज हिस्से की कोई भूमि शेष नहीं रही हैं मगर वर्तमान में उसके नाम गलत रूप से अंकित खातेदारी में उसका नाम अंकित है,जबकि चुन्नीलाल के हक व हिस्से में आई भूमि में से 04 बीघा 14 विस्वा भूमि थी,जिसका पंजीबद्ध बख्शीशनामा दिनांक 23.07.2008 के जरिए वादी को बख्शीश कर दी गई थी,इसलिए उक्त खसरान् का राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती करवाना अत्यन्त आवश्यक व न्याय संगत हैं। प्रतिवादी ओमप्रकाश जालसाज व्यक्ति हैं,जिसके द्वारा भगतसिंह सर्कल के पास स्थित अमुल्य भूखण्ड आपसी बंटवाड़े में अपने हिस्से में लेकर तथा वादग्रस्त भूमि में से 15 विस्वा भूमि ओमप्रकाश द्वारा वादी को देने का इकरारनामा भी दिनांक 27.10.2009 को तकमील किया गया,मगर ओमप्रकाश की नियत में खोट आने की वजह से उक्त अमुल्य भूमि के बदले 15 विस्वा भूमि का इकरार पत्र तकमील कर उसमें से भी वादी को उक्त भूमि प्रदान न कर उक्त भूमि को आगे बेचान कर दी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश के नाम शेष खातेदारी भूमि हैं जो उसके हक एवं हिस्से से अधिक हैं उसमें से उसका नाम हटाकर वादी के नाम घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया गया है। वादी की ओर से पी.डब्ल्यू 01 मेवाराम को साक्ष्य में परिक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 बख्शीशनामा, प्रदर्श 02 एवं प्रदर्श 03 खातेदारी की जमाबंदीयों की प्रतियां तथा प्रदर्श 04 इकरारनामा जो प्रतिवादी ओमप्रकाश द्वारा वादी मेवाराम के पक्ष में निष्पादित किया को अपनी साक्ष्य से साबित करवाया। वादी ने अपनी साक्ष्य से अपने वाद को पूर्णरूप से साबित किया तथा यह बयान दिये की वादी के पिता चुन्नीलाल जी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

के नाम खातेदारी खेत सख्या 407 रकबा 19 बिघा 18 विस्वा भूमि सरहद मौजा बालोतरा में स्थित हैं तथा 04 बीघा 14 विस्वा भूमि का बख्शीशनामा चुन्नीलालजी द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा उपपंजीयक जसोल के समक्ष 23.07.2008 को पंजीवद्ध किया गया। उक्त खसरा में से मेघा हाईवे रोड निकलने से इस खसरे के नये खसरा संख्या 1071/407 एवं खसरा संख्या 1049/407 राजस्व रेकर्ड में अंकित किये गये हैं। वादी ने यह भी बयान दिया कि उसके पिता के देहान्त के पश्चात् हल्का पटवारी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि हम तीनों भाईयों के नाम से फौतदगी नामान्तकरण के जरिए बराबर–बराबर अंकित कर दिये, जबकि वादी द्वारा हल्का पटवारी को उक्त बख्शीशनामा दिया था,परन्तु उक्त बख्शीशनामें के आधार पर वादी के नाम नामान्तकरण स्वीकृत नही कियाय गया। वादी ने यह भी बयान अंकित किया कि उसके भाई ओमप्रकाश द्वारा उसके हक में खेत खसरा संख्या 407 में से 15 विस्वा भूमि उसके पक्ष में जरिए इकरार दी गई थी। वादग्रस्त भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त व निवास हैं तथा वादी का हक व हिस्सा उसके पिता द्वारा बख्शीशनामें तथा ओमप्रकाश द्वारा दिये गये इकरारनामें के अनुसार काबिज हैं। वादी से प्रतिवादीगण द्वारा जिरह की गई तथा जिरह में वादी अपने बयानों में पूर्णरूप से अड़िग रहा है कि उसके पिता ने उक्त खेत खसरान् की कृषि भूमि में से ने 04 बीघा 14 विस्वा भूमि का बख्शीशनामे को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई हैं। वादी से जिरह में यह तथ्य भी बताया कि उक्त कृषि भूमि से मेघा हाईवे निकाला गया हैं,जिसमें 04 बीघा 16 विस्वा भूमि अवाप्ति में जा चुकी हैं। प्रतिवादी साक्ष्य में ओमप्रकाश का साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में पारिवारिक समझौता प्रदर्श डी–01 तथा प्रदर्श डी–02 चुन्नीलालजी का सहमति पत्र, प्रदर्श डी–03 आपसी राजीनामा तथा प्रदर्श डी–04 वसीयतनामें की प्रतियां प्रस्तुत की गई तथा जिरह में यह बताया कि चुन्नीलालजी के नाम राजस्व गांव मूंगडा में खेत था,जिसके खसरा संख्या 407, 301, 302, 303 चन्नीलालजी के नाम दर्ज भूमियां हैं। जिसमें से खसरा संख्या 301, 302 एवं 303 नगर परिषद बालोतरा की खातेदारी में चले गये हैं। प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके पास 821 गज का भूखण्ड हैं जिसमें मकान व स्कूल चल रही हैं। प्रतिवादी ने जिरह में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि चुन्नीलालजी द्वारा मेवाराम के हक में बख्शीशनामा करवाया था,जो प्रदर्श 01 हैं एवं यह भी स्वीकार किया कि उक्त बख्शीशनामें के विरूद्ध आज दिन तक कभी कोई उज्र एतराज या उक्त बख्शीशनामें को रद्द करने का दावा पेश नहीं किया। गवाह ने इस तथ्य को भी सही बताया कि मैने मेरे भाई वादी मेवाराम के हक में 15 विस्वा जमीन की लिखापढ़ी प्रदर्श 04 की थी। हमारे तीनों भाइयों व पिताजी के बीच आपसी राजीनामा की लिखापढ़ी व बंटवाड़ा कितनी बार हुआ जिसका कोई ज्ञान नहीं हैं। इस तथ्य को भी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सही बताया कि चुन्नीलालजी जो हमारे पिताजी हैं,ने देहान्त से पूर्व मेवाराम के हक में बख्शीशनामा निष्पादित किया था एवं चुन्नीलालजी की मृत्यू दिनांक 05.09.2009 को हुई थी। इस तथ्य को अस्वीकार किया कि आपसी पारिवारिक समझौता प्रदर्श डी 01 मेवाराम व मोडाराम के फर्जी अंगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर किये हो अर्ज खुद कहां कि भाई नहीं मानेंगे तो फर्जी हैं। इस तथ्य को सही बताया कि उसके पास जो भूखण्ड 821 गज का रहवासीय है ,जो उसकी माता तुलछीदेवी के नाम का हैं,जो बंटवाड़े में मुझे दिया गया हैं। इस तथ्य को गलत बताया कि उसके आबादी क्षेत्र बालोतरा में बड़ा भूखण्ड दिया गया हैं जिसके बदले में उसके पिता चुन्नीलालजी के द्वारा वादी को बख्शीशनामें के जरिये 04 बीघा 15 विस्वा जमीन अलग से दी हैं। प्रतिवादी ने अपनी स्वंय की साक्ष्य के अलावा अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किये हैं ओर न ही अन्य प्रतिवादीगण कर ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी द्वारा अपने साक्ष्य में पारिवारिक बंटवाड़ा बाबत साक्ष्य दी हैं तथा उक्त पारिवारिक बंटवाड़ा दिनांक 04.08.2007 अपने सभी भाईयों एवं अपने पिता द्वारा निष्पादित होने का कथन किया है तथा उक्त पारिवारिक बंटवाड़े माफिक वादग्रस्त कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग किया जा रहा हैं। उक्त पारिवारिक बंटवाड़ा जो पंजीकृत दस्तावेजी नहीं हैं एवं कोई भी दस्तावेज जो पंजीबद्ध नहीं हैं वह साक्ष्य में न तो ग्राहय हैं और न ही वह कोलेस्टर प्रपज हेतु भी देखा जा सकता हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 (03) डी.एन.जे (एस. सी.817) में यह निर्धारित किया है कि विभाजन/पारिवारिक बंटवाड़ा जो पंजीबद्ध नहीं हैं,को स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक की उक्त बंटवाड़ा पंजीकृत डीड से प्राप्त नहीं किया हुआ हैं। प्रतिवादी ओमप्रकाश द्वारा जो तथाकथित पारिवारिक बंटवाड़ा जो प्रस्तुत किया गया है,वह दस्तावेज अपंजीकृत दस्तावेज है,जिसे किसी भी स्थिति में साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं एवं न ही उसको आधार बनाकर उसे माना जा सकता हैं। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा तथाकथित पारिवारिक बंटवाड़ा इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 49 के अनुसार साक्ष्य में ग्राहय नहीं होने से यह माना जायेगा की ऐसा कोई दस्तोवज अस्तित्व में ही नहीं हैं एवं इसी आधार पर प्रतिवादी के अभिवचन तथा उसकी और से प्रस्तुत साक्ष्य इस हद तक पढ़ी जाने योग्य नहीं है। पारिवारिक समझौता/फैमिली एरेन्जमेन्ट बाबत् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्नेह गुप्ता बनाम देवी स्वरूप 2009 (06) एस.सी.सी. पेज 194 में यह निर्धारित किया है,कि पारिवारिक समझौता में सभी पक्षकरान् के हस्ताक्षर एवं उनकी मौजूदगी तथा उसका पंजीयन होना अनिवार्य हैं एवं इसके अभाव में पारिवारिक समझौता किसी भी स्थिति में मान्य नहीं हो सकता हैं। वर्तमान प्रकरण में भी उक्त तथाकथित पारिवारिक समझौता पंजीकृत दस्तावेज नहीं हैं तथा कानून ऐसे दस्तावेजात की कोई ऐहमियत नहीं हैं तथा इसी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बिनाह पर उक्त पारिवारिक समझौता नजीरो मे सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पारिवारिक समझौता पंजीकृत होना अत्यन्त आवश्यक व न्यायासंगत हैं। नन्दकिशोर काण्टे बनाम अनुरूद्ध 2010 (2) एस.सी.सी. पेज 77 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अपंजीकृत पारिवारिक समझौता को न्यायालय द्वारा देखा ही नहीं जा सकता हैं। इसी प्रकार भवरी बनाम अरविन्द 2017 (1) डी.एन.जी राजस्थान पेज 14, वी. के मुन्नीराज बनाम स्टेट ऑफ कनार्टका 2008 (4) एस.सी.सी. 451, केवी साह बनाम डवलपमेन्ट कोरपोरेशन 2008 (08) एस.सी.सी. 564 तथा केजी श्री लंग्पा बनाम जी.एस. एसवरूपा 2004 (12) एस.सी.सी. पेज 189 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पारिवारिक समझौता अपंजीकृत होने से साक्ष्य में ग्राहय नहीं हैं। सीताराम भामा बनाम रामअवतार भामा 2018(4) डब्ल्यू.एल. एन. (एस.सी.) 124, काले बनाम डीप्टी डायरेक्टर 1976 (3) एस.सी.सी. पेज 119 तथा यलप्पा उमा माहेश्वरी बनाम बुद्धा 2015 (16) एस. सी.सी. 787 तथा 2018 (2) डब्ल्यू एल.सी. (एस.सी.) सिविल 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पारिवारिक समझौता सद्भाविक होना चाहिए,उक्त समझौते में किसी प्रकार का कपट, दुष्प्रेरण अथवा किसी प्रकार का दवाब किसी पक्षकार पर नहीं होना चाहिए तथा उस दस्तावेज का पंजीकृत होना आवश्यक है,लेकिन उक्त प्रकरण में उक्त तथाकथित पारिवारिक समझौता में उक्त सभी बातों का लोप किया गया हैं। इसलिये उक्त दस्तावेज न तो पढा जा सकता हैं और न ही कानूनन पंजीकृत दस्तावेज के होते उसका कोई अस्तित्व ही शेष रहता हैं। कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 (1) (बी) एवं (2) के अनुसार पारिवारिक समझौता पंजीकृत होना अत्यन्त आवश्यक हैं। इसी प्रकार धारा 49, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार भी कोई भी दस्तावेज तब तक साक्ष्य में ग्राहय नहीं हो सकता जब तक उसका पंजीयन नहीं हो जाता। इस प्रकार भारतिय रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार उक्त तथाकथित पारिवारिक समझौता अपंजीकृत दस्तावेज होने से कानूनन अमान्य हैं तथा उक्त दस्तावेज को कोलेटर प्रपज हेतु भी मान्य नहीं किया जा सकता है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया था कि प्रकरण में रेकर्ड पर उपलब्ध लिखित व मौखिक साक्ष्य के अनुसार वादी मेवाराम चुन्नीलालजी के हक व हिस्से में आई 04 बीघा 14 विस्वा भूमि का जरिए रजिस्ट्रर्ड बख्शीशनामें के स्वामित्व व खातेदार हैं तथा वादी ने अपनी साक्ष्य से उक्त बख्शीशनामा साबित करवाया हैं तथा इसी बख्शीशनामें के आधार पर वादी खेत खसरा संख्या 407 वर्तमान में खसरा संख्या 1071/407 रकबा 06 बीघा 17 विस्वा एवं खसरा संख्या 1049/407 रकबा 08 बीघा 05 विस्वा में से रजिस्ट्रर्ड बख्शीशनामें एवं अपने हक व हिस्से में आई कृषि भूमि 05 बीघा 09 विस्वा भूमि का बतौर खातेदार घोषणा करवाने का अधिकारी हैं एवं इसी आधार पर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती कर प्रतिवादी संख्या 01 व अन्य खातेदारों का नाम

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हटवाने का अधिकारी हैं एवं इसी अनुरूप वादी का उक्त घोषणा का वाद डिक्री किए जाने योग्य हैं। वादी उक्त खेत खसरा संख्या 407 वर्तमान में 1071/407 तथा खसरा संख्या 1049/407 में आई कृषी भूमि में से वादी के हक व हिस्से में आई 05 वीघा 09 विस्वा भूमि के वावत् वी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं,जो उसने अपने वादपत्र एवं अपनी और से प्रस्तुत मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य से सावित किया हैं तथा पंजीकृत वख्शीशनामा प्रदर्श 01 को साक्ष्य से सावित करवाया हैं तथा प्रतिवादी ओमप्रकाश ने भी उक्त वख्शीशनामें को अपने पिता श्री चुन्नीलाल द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित होना माना है तथा उक्त वख्शीशनामें को सही व सत्य वताते हुए अन्य किसी भी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं देना वताया हैं। इस प्रकार वादी ने अपनी साक्ष्य से अपने वाद पत्र को पूर्ण रूप से सावित किया हैं इसलिए वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ओमप्रकाश द्वारा अपनी साक्ष्य में वसीयतनामा दिनांक 29.07.2007 जो श्री चुन्नीलाल द्वारा ओमप्रकाश के हक में निष्पादित होना वताया गया हैं को प्रदर्श डी–04 के रूप में प्रस्तुत किया। जव श्री चुन्नीलाल द्वारा अपने जीवन काल में ही रजिस्टर्ड वख्शीशनामें के जरिए अपनी कृषि भूमि से 04 वीघा 14 विस्वा भूमि अपने पुत्र मेवाराम के पक्ष में निष्पादन कर दिया था तव उक्त वसीयत का कानूनन कोई महत्व ही नहीं रह जाता हैं। तथाकथित वयीयतनामा दिनांक 29.07.2007 को नोटेरी पव्लिक से अटेस्टेड होना वताया गया है,जवकि उक्त वख्शीशनामा प्रदर्श 01 दिनांक 23.07.2008 को निष्पादित किया गया हैं जो कि तथाकथित वसीयत के वाद किया गया हैं एवं कानूनन उक्त वसीयत प्रभाव शून्य हैं क्योंकि उक्त वसीयत के पश्चात् पंजीकृत वख्शीशनामा निष्पादित किया गया हैं। इसलिए उक्त तथाकथित वसीयत व्यर्थ,शून्य एवं वादी के हक व हितो के विरूद्ध शून्य व वेअसर हैं इसी अनुरूप वादी का वाद डिकी फरमाया जावे। वादी ने अपने वाद पत्र के पद संख्या 01 में यह अभिवचन अंकित किये कि वादी के पिता स्व. श्री चुन्नीलाल की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 407 रकवा 19 वीघा 18 विस्वा सरहद मौजा वालोतरा में स्थित हैं तथा स्व. श्री चुन्नीलाल जी द्वारा पंजीकृत वख्शीशनामा दिनांक 23.07.2008 के जरिए 04 वीघा 14 विस्वा भूमि वादी के हक में निष्पादित कि। उक्त वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्यों का जवाव ओमप्रकाश द्वारा यह दिया गया है कि उक्त कृषि भूमि चुन्नीलाल जी के खातेदारी की हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा स्व. चुन्नीलाजी की खातेदारी भूमि वावत् किसी प्रकार का कोई उज्र व एतराज नहीं लिया गया हैं तथा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि खेत खसरा संख्या 407 रकवा 19 वीघा 18 विस्वा भूमि स्व. श्री चुन्नीलालजी के खातेदारी की हैं। यह तथ्य भी स्वीकार किया गया है,कि उक्त भूमि 19 वीघा 18 विस्वा भूमि में से 04 वीघा 16 विस्वा भूमि राज्य सरकार

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

द्वारा अवाप्त की जा चुकी हैं तथा 16 बीघा 02 विस्वा शेष रही हैं। जिसमें से 04 बीघा 16 विस्वा भूमि का पंजीकृत बख्शीशनामा वादी के पक्ष में वादी के पिता द्वारा करवाया जा चुका हैं,जिसे वादी ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श 01 उक्त बख्शीशनामें को साबित किया हैं तथा शेष रही भूमि करीब 11 बीघा में से 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। जिसे वादी ने अपनी साक्ष्य से साबित किया हैं। इस प्रकार वादी का उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने योग्य हैं। अतं मे निवेदन किया था कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1049/407 एवं 1071/407 सरहद मौजा बालोतरा में आई कृषि भूमि 15 बीघा 04 विस्वा में से 05 बीघा 09 विस्वा भूमि वादी के नाम खातेदारी घोषित की जावे एवं इसी अनुरूप राजस्व रेकोर्ड में दुरूस्ती कर प्रतिवादीगण के नाम हटाये जावें तथा उक्त कृषि भूमि में वादी के 05 बीघा 09 विस्वा भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी व रोक–टोक के बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

7. इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता ने अपनी लिखत बहस के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया था कि वादी की ओर से वादपत्र मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जो वादी का वाद पत्र चलने योग्य नही है। क्योकि मौजा बालोतरा के मूल खसरा संख्या 407 के विभाजित नये खसरा संख्या 1078/407 रकबा 08 बीघा 05 विस्वा व खसरा संख्या 1049/407 रकबा 06 बीघा 17 विस्वा कुल रकबा 15 बीघा 02 विस्वा पुश्तैनी राजस्व आराजी स्व. चुन्नीलाल के नाम से थी,जो चुन्नीलाल का देहान्त दिनांक 05.09.2009 को बालोतरा में होने पर चुन्नीलाल के तीनों पुत्र वादी मेवाराम व प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 02 मगराज के नाम से 1/3–1/3 हक हिस्सा का नामान्तकरण भरा गया,जो आज रोज भी कायम है तथा फौतदगी नामान्तकरण का वादी द्वारा कभी भी कहीं एतराज नहीं किया गया तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पूर्ण सहमति से नामान्तकरण भरा गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता के जीवनकाल में मूल खसरा संख्या 407 रकबा 19 बीघा 18 विस्वा भूमि में से मेघा हाईवे रोड़ निकलने से वादग्रस्त खसरान् की भूमि 05 बीघा 15 विस्वा अवाप्त हो गई। जिसमें से 04 बीघा 16 विस्वा भूमि का मुआवजा वादी व प्रतिवादीगण के पिता के जीवनकाल में प्राप्त हुआ तथा अन्य अवाप्त भूमि 19 विस्वा भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से उसकी कार्यवाही वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकारी बालोतरा के समक्ष की गई तथा शेष भूमि रकबा 15 बीघा 02 विस्वा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के बराबर बराबर हिस्से 1/3 का नामान्तकरण सभी की सहमति से भरा गया था। चुन्नीलाल के शहर बालोतरा में 302 रकबा 01 विस्वा गैर.मु. बैरा, 303 रकबा 08 बीघा 15 विस्वा,खसरा संख्या 798/301

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

रकबा 10 बीघा 09 विस्वा आये हुए थे,जिसमें से स्व. चुन्नीलाल द्वारा रहवासीय मकान के अलावा सम्पूर्ण भूमि अपने जीवनकाल में बैचान कर दी थी। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 का हक हिस्सा भी पुश्तैनी रूप से अवस्थित होते हुए भी बैचान कर दिया गया है। वादी द्वारा अपने बयान मे जाहि किया गया कि वादग्रस्त खसरान में से 04 बीघा 14 विस्वा भूमि मेवाराम के नाम से बक्सीस दिनांक 23.07.2008 को किया गया,जो प्रदर्श 01 हैं,लेकिन प्रतिवादी संख्या 02 के नाम से उसी रोज स्व.चुन्नीलाल द्वारा वादग्रस्त खसरान में से 04 बीघा 14 विस्वा भूमि दिनांक 23.07.2008 को बक्सीस की गई। इस प्रकार उसी रोज कुल 08 बीघा 14 विस्वा भूमि का बक्सीसनामा चुन्नीलाल से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने पक्ष में करवाया गया। जिससे स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 02 वादग्रस्त आराजी को हड़प करने के लिए प्रतिवादी संख्या 01 से छिपा कर गलत रूप से पुश्तैनी भूमि को प्राप्त करने की नियत से दोनो बक्सीसनामा एक ही दिन में लिखवाए गए। जबकि पुश्तैनी हक हिस्सा स्व. चुन्नीलाल का वादग्रस्त आराजी में रकबा 03 बीघा 15 विस्वा 05 विसवान्सी से अधिक की भूमि का बक्सीसनामा चुन्नीलाल ने अपने जीवनकाल में करने के अधिकारी नहीं थे,लेकिन गलत रूप से बक्सीस की गई जो प्रतिवादी संख्या 02 के हकों के विरूद्ध शून्य होने से दावा काबिल खारिज है। वादग्रस्त भूमि मे मुतवफी चुनीलाल का 1/4 हिस्सा बनता था,इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे चुनीलाल का 3.15.05 बीघा भूमि ही आती थी,लेकिन वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 01 की भूमि को हड़प करने की नियत से एक ही दिन मे दो बक्सीसनामा पंजीबद्व करवाए गए,जो कि चुनीलाल द्वारा हिस्से से अधिक भूमि के बक्सीसनामा पंजीबद्व करवाए जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 के हक हकूको तक शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी मे आते है। वादी द्वारा अपने बयानों के जिरह में पेज संख्या 02 दिनांक 14.03.2019 में खसरा संख्या 407 के वर्तमान खसरा संख्या 1049/407 व 1071/407 हमारी पुश्तैनी भूमि हैं तथा यह बात सही है,कि इस वादग्रस्त भूमि का विभाजन पूर्व में चुन्नीलालजी के जीवनकाल में हो चुका हैं तथा यह कहना सही है कि मेरे पिताजी के जीवनकाल में ही मेघा हाईवे निकल चुका था,जिसमें 04 बीघा 16 विस्वा भूमि अवाप्त की गई थी तथा प्रदर्श 01 मेघा हाईवे में भूमि अवाप्ति से पूर्व का हैं तथा प्रर्दश 01 में ओमप्रकाश की साख नहीं हैं तथा यह बात सही है कि मेरे पिता द्वारा उस दिन दो वसीयतनामें लिखे गये थे,जो एक मेरे पक्ष में व दूसरा मेरे भाई प्रतिवादी संख्या 02 मगराज के पक्ष में लिखे गये थे। यह बात सही है कि मेरे द्वारा सहमति पत्र ओमप्रकाश के पक्ष में व मगराज के पक्ष में दिया था,उसमें तीनों के हिस्सें बराबर होना व तीनों का बराबर कब्जा होना बताया हैं तथा यह कहना सही है कि प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश हमारे पिता द्वारा किए गए बंटवाड़ा अनुसार कब्जा –काश्त व रेकर्ड में अमल

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दरामद करवा रहा हैं तथा प्रदर्श 04 पालना बाबत् इस कोर्ट के अलावा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह कहना सही है कि बक्सीसनामा के बाद 1/3 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में हैं। यह कहना सही है कि वादग्रस्त भूमि में से मैंने बेचान की हैं,जो मेघा हाईवे निकलने के तुरंत बाद की हैं। यह कहना सही है कि मगराज को मिले 1/3 हिस्से में मैंने कोई एतराज नहीं किया है। उपरोक्त वादी के बयानों से स्पष्ट है कि वादी पुश्तैनी भूमि होना स्वीकार कर रहा हैं तथा मेघा हाईवे का वादग्रस्त भूमि से निकलना स्वीकार कर रहा हैं तथा मेघा हाईवे में भूमि अवाप्त होना स्वीकार कर रहा हैं तथा एक दिन में दो बक्सीसनामा वादी व प्रतिवादी संख्या 02 मगराज के पक्ष में चुन्नीलाल से लिखवाना स्वीकार कर रहा हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पेश प्रदर्श डी 2 ए वादी स्वंय द्वारा सहमति पत्र ओमप्रकाश के पक्ष में व मगराज के पक्ष में देना व उसमें तीनों के हिस्से बराबर होना व तीनों का बराबर कब्जा होना बताया है,जो स्वीकार कर रहा हैं तथा बक्सीसनामा के बाद में वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्सा भूमि में होना स्वीकार कर रहा हैं तथा मगराज को मिले 1/3 हिस्से में से किसी प्रकार का एतराज नहीं कर हिस्सा प्राप्त करना नहीं चाहता हैं। जिससे स्पष्ट है कि वादी मात्र प्रतिवादी संख्या 01 को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से दावा पेश किया हैं,जबकि अपनी साक्ष्य में बक्सीसनामा में दर्ज हिस्सा बक्सीसकर्ता के नाम से पुश्तैनी शेयर में हो तथा पुश्तैनी शेयर का हिस्सा स्व. चुन्नीलाल द्वारा बक्सीस किया गया हो ऐसा कहीं भी अपने बयानों में नहीं बताया गया हैं तथा स्व. चुन्नीलाल के द्वारा अपने पुश्तैनी हिस्से से अधिक की भूमि का बक्सीसनामा करने का कोई अधिकार स्व. चुन्नीलाल के पास में नहीं होने से तथाकथित बक्सीसनामा प्रतिवादी संख्या 01 के हितों के विरूद्ध शून्य होने से प्रतिवादी संख्या 01 के पुश्तैनी हित प्रभावित करने का वादी अधिकारी नहीं होने से दावा काबिल खारिज हैं तथा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य वादी द्वारा पत्रावली में पेश नहीं की हैं। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का पारिवारिक समझौता बंटवाड़ा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के मध्य चुन्नीलालजी के जीवनकाल में चुन्नीलालजी द्वारा कर दिया गया था व पारिवारिक समझौता बंटवाड़ा के अनुसार वादग्रस्त पुश्तैनी राजस्व आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का 1/3 –1/3 हक हिस्सा कायम किया गया। एसी के मुताबिक प्रदर्श डी 01 ए के पद संख्या 04 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 1/3–1/3 हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं,जो प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में जारी तनकियात संख्या 02 फौतदगी नामान्तरणकरण व पारिवारिक बंटवाड़ा अनुसार 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी हैं,जो पूर्ण रूप से साबित हैं तथा पारिवारिक बंटवाड़ा व अन्य दस्तावेज का वादी द्वारा कहीं भी अपनी साक्ष्य मे साबित नहीं किया हैं जिससे प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादग्रस्त आराजी में अवस्थित हैं,जो कायम रखा जावे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का पारिवारिक समझौता बंटवाड़ा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के मध्य चुन्नीलालजी के जीवनकाल में चुन्नीलालजी द्वारा कर दिया गया था व पारिवारिक समझौता बंटवाड़ा के अनुसार वादग्रस्त पुश्तैनी राजस्व आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का 1/3 –1/3 हक हिस्सा कायम किया गया। अतं मे निवेदन किया कि वादी का वाद गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम अनुतोष अनुसार प्रतिदावा स्वीकार किया जावे।

8. हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों को समाहित करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना न्यायसंगत एवं प्रासंगिक है,जो निम्नानुसार हैः–

<u>तनकी संख्या 1</u>–आय वादी खेत खसरा संख्या 1049/407 रकबा 6.17 बीघा व खसरा संख्या 1071/407 रकबा 8.05 बीघा कुल रकबा 15.02 बीघा भूमि मे से रकबा 5.09 बीघा भूमि अपने नाम घोषित कराने व प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेघाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे–वादी)

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 स्वंय (मेवाराम) के बयानात करवाए गए तथा दस्तोवजी साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श 1–बख्सीसनामा दिनांक 23.7.2008 की प्रति,प्रदर्श 2–ग्राम बालोतरा की खसरा संख्या 1069/407 की जमाबंदी संवत 2069–2072 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 3–इसी ग्राम की खसरा संख्या 1071/407 की जमाबंदी संवत 2069–2072 की प्रमाणित प्रति व प्रदर्श 4ए –आपसी इकरारनामा की प्रति प्रदर्शित करवाए गए। वादी ने बयानात में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि के मूल खसरा संख्या 407 रकबा 19.18 बीघा भूमि पुश्तैनी मुतवफी चुनीलाल के खातेदारी की अवस्थित थी। चुनीलाल के तीन पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 है। वादग्रस्त भूमि में से दिनांक 23.07.2008 को 4.14 बीघा भूमि चुनीलाल द्वारा वादी के पक्ष में बक्सीस कर दी गई थी। विवादित भूमि में से 4.16 बीघा भूमि सड़क निर्माण हेतु आवंटित की गई। इस प्रकार शेष रकबा 15.02 बीघा बेचा। जिसमें वर्तमान खसरान् नम्बर है। चुनीलाल के फौत होने पर हल्का पटवारी को बक्सीसनामा की प्रति दी गई थी,लेकिन हल्का पटवारी द्वारा वादी के पक्ष में बक्सीसनामा भूमि को

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नजर–अन्दाज करते हुए सम्पूर्ण भूमि में बहिस्सा बराबर तीनो भाईयो के नाम नामान्तकरण भरा गया,जो कि अवैध रूप से प्रविष्टि इन्द्राज की गई थी। क्योंकि वादी की बक्सीस भूमि 4.19 बीघा का रेकर्ड में इन्द्राज ही नहीं किया गया। प्रतिवादी ओमप्रकाश ने तत्पश्चात् भूमि का अन्य प्रतिवादी को बेचान कर दिया गया है। शेष भूमि में प्रतिवादी ओमप्रकाश का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। इस कारण वादी की वादग्रस्त भूमि में रकबा 5.09 बीघा भूमि खातेदारी घोषित की जावे।

इसके विपरीत प्रतिवादी ओमप्रकाश ने बयान में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी चुनीलाल की खातेदारी भूमि में अवस्थित थी। जिसमें सड़क मार्ग निर्माण के लिए भूमि अवाप्त रकबा 4.16 बीघा भूमि होने के कारण शेष रकबा 15.02 बीघा भूमि रहा। अवाप्त भूमि का मुआवजा चुनीलाल व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 द्वारा बहिस्सा बराबर बांटकर प्राप्त किया गया। शेष रकबा भूमि 15.02 बीघा का पारिवारिक बंटवाड़ा समझौता दिनांक 04.08.2007 के पद संख्या 4 अनुसार व शपथ पत्र दिनांक 06.10.2009 के अनुरूप चुनीलाल के फौतदगी नामान्तकरण भरा गया थ। इस कारण वादी का वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड़ दस्तावेजात एवं पक्षकारान् के लिखित उजर का अवलोकन करने पर सामने आया कि पक्षकारान् वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी मानते है। वादग्रस्त भूमि का मूल खसरा संख्या 407 रकबा 19.18 बीघा था। जिसमें रकबा 4.16 बीघा भूमि सड़क निर्माण में अवाप्त होने के कारण शेष रकबा 15.02 बीघा रही। जिसमें विद्यमान खसरा संख्या 1069/407 व 1071/407 है,लेकिन वादी यह कहीं स्पष्ट नहीं कर पाया कि सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की गई। उक्त अवाप्ति संबंधित दस्तावेजात भी पेश नहीं किए गए। चुंकि उक्त आवंटित भूमि पर वादी को एतराज नही किया गया है। इस कारण उक्त बिन्दु पर गौर किया जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन वादी द्वारा मुख्य बिन्दु यह उठाया गया कि वादी के पक्ष में उनके पिता चुनीलाल द्वारा 4.14 बीघा बक्सीसनामा किए जाने के उपरांत भी नामान्तकरण नहीं भरा गया और उनके फौत होने पर वादग्रस्त भूमि में फौतदगी नामान्तकरण तीनो भाईयो में बहिस्सा बराबर गलत भरा गया है। चुंकि पक्षकारान वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी होना बता रहे है। पुश्तैनी भूमि में चुनीलाल व उसके तीन पुत्रो का बहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा बनता था। इस सन्दर्भ में RRD 1983 पृष्ठ 310 देवीलाल बनाम भुवाना वगैरा न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिवादित है कि पैतृक भूमि में उसके विधिक वारिसान् का बहिस्सा बराबर हक–हकूक बनता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में चुनीलाल को 1/4 हिस्सा 3.16 बीघा भूमि तक ही बक्सीस करने का हक था। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड़ व पक्षकरान् अधिवक्ता द्वारा बहस में

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उठाए गए तथ्यो के आधार पर चुनीलाल द्वारा 4.14 बीघा वादी के पक्ष में बक्सीस की गई तथा 4.14 बीघा भूमि प्रतिवादी मगराज के पक्ष में बक्सीस कर दी गई,जो कि हिस्से से अधिक बक्सीस अपने आप में प्रारम्भ शून्य एवं निष्प्रभावी श्रेणी में आती है। इस प्रकार चुनीलाल का नेशनल शेयर 3.16 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी मगराज बक्सीस भूमि प्राप्ति के हकदार है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 से 8 को भूमि बेचान हो रखी है। उक्त क्रेताओ को किस पक्ष ने कितने हिस्सा का बेचान किया गया है। इस संबंध में वादी पूरी तरह से दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट नही कर पाए है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि वादग्रस्त भूमि में वादी चुनीलाल के नेशनल शेयर हिस्सा 1/4 अर्थात रकबा 3.16 बीघा भूमि में आधा हिस्सा अर्थात 1.18 बीघा भूमि प्राप्ति का हकदार है तथा 1.18 बीघा भूमि प्रतिवादी मगराज प्राप्ति का हकदार है। शेष रकबा 11.06 बीघा भूमि में से बेचान को छोड़ते हुए बहिस्सा बराबर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी में दर्ज होने योग्य है। इस प्रकार उक्त तनकी वादी आंशिक रूप से स्वीकार करने में सफल होने के कारण उनके पक्ष मे निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2:—आया प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि मे फौतगी नामान्तकरण व पारिवारिक बंटवाड़ा अनुसार 1/3 हिस्से का अधिकारी है ?

(जिम्मे—प्रतिवादी संख्या 1)

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ओमप्रकाश ने स्वंय के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 से 04 प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी ओमप्रकाश ने अपने बयानात् में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी चुनीलाल की खातेदारी खेत खसरा संख्या 407 रकबा 19.18 बीघा सड़क मार्ग निर्माण में अवाप्त होने के कारण शेष रकबा 13.02 बीघा भूमि रही। अवाप्त भूमि का मुआवजा राशि तीन भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एवं चुनीलाल द्वारा बहिस्सा बराबर प्राप्ति की गई। तत्पश्चात् वादग्रस्त भूमि के खातेदार चुनीलाल के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण बहिस्सा बराबर पारिवारिक बटंवाड़ा समझौता दिनांक 04.08.2007 के पद संख्या 4 अनुसार व शपथ पत्र दिनांक 06.10.2009 के अनुरूप भरा गया था। उक्त प्रतिवादी ओमप्रकाश से वादी अधिवक्ता द्वारा लम्बी जिरह की गई। उक्त जिरह का विस्तृत विवेचन किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है,क्योंकि राजस्व न्यायालय मौखिक साक्ष्य से अधिक राजस्व अभिलेख को महत्व एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रदत प्रावधान के अनुकूल ही निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझता है। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से यह तो स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि में चुनीलाल के तीन वारिस होने के कारण उनका वादग्रस्त भूमि में चौथा हिस्सा बनता था। अपने हक हिस्से

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि तक बक्सीस किए जाने का चुनीलाल को अधिकार था,इस प्रकार वादग्रस्त भूमि रकबा 15.02 बीघा में चुनीलाल 3.16 बीघा भूमि बक्सीस करने का हकदार था,जो कि उसके अधिक करने का हकदार नहीं था,लेकिन उस द्वारा उसमें भी अधिक 9.08 बीघा भूमि बक्सीस की गई,जो कि हक हिस्से से अधिक भूमि का बक्सीसनामा प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। लेकिन बक्सीसनामा वादी व प्रतिवादी मगराज के पक्ष में होना प्रतिवादी ओमप्रकाश द्वारा स्वीकार है। उक्त बक्सीसनामा को सक्षम माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किए गए हो। ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी ओमप्रकाश द्वारा पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार 3.16 बीघा भूमि तक वादी व प्रतिवादी मगराज बक्सीसनामा के आधार पर भूमि प्राप्ति के हकदार थे,लेकिन चुनीलाल के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण बहिस्सा बराबर भरा गया,जो कि प्रतिवादी सम्पूर्ण भूमि में 1/3 हिस्सा प्राप्ति का हकदार नही है। क्योंकि चुनीलाल के हक हिस्से 3.15 बीघा भूमि को छोडते हुए शेष रकबा भूमि पर तीन भाई बहिस्सा बराबर हक प्राप्ति के हकदार है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी ओमप्रकाश वादग्रस्त भूमि कुल रकबा 15.02 बीघा भूमि में से 03.16 बीघा चुनीलाल के हक हिस्से की भूमि को छोडते हुए(जो उस द्वारा बक्सीस की गई थी) शेष रकबा 11.06 बीघा भूमि में बहिस्सा बराबर प्राप्ति करने का हकदार है। इस प्रकार उक्त तनकी प्रतिवादी ओमप्रकाश आंशिक रूप से स्वीकार करने में सफल रहा है।

<u>तनकी संख्या 3:—</u>आया प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2,प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त मे दंखल अंदाजी पैदा न करे ?

(जिम्मे—प्रतिवादी संख्या 1)

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व दस्तावेजात अवलोकन करने पर पाया कि प्रतिवादी यह कहीं साबित नहीं कर पाया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 02, प्रतिवादी के कब्जा—काश्त में दखलदान्जी कर रहे हो। ऐसी सूरत में उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4:— अनुतोष ?

उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाभ प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

अनुतोषः—उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर यह न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी वाद—पत्र में कायम तनकी संख्या 01 को साबित करने में आंशिक रूप से सफल रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 भी तनकी संख्या 2 को साबित करने मे आंशिक रूप से सफल रहा है। अतःवादी के वाद—पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

विवेचन के आधार पर वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1049/407 रकबा 6.17 बीघा व खसरा संख्या 1071/407 रकबा 8.05 बीघा कुल रकबा 15.02 बीघा भूमि में मृतक चुनीलाल द्वारा बक्सीस हिस्से से अधिक को शून्य एवं अप्रभावी धोषित करते हुए हक हिस्सा रकबा 3.16 बीघा भूमि में आधा हिस्सा वादी व आधा हिस्सा प्रतिवादी मगराज की खातेदारी घोषित की जाती है। शेष रकबा 11.06 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का बहिस्सा बराबर रहेगा, लेकिन वादग्रस्त भूमि में से बेचान रकबा विक्रेता के खाते मे से कम होगा। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

(अशोक कुमार) 28/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर 28/01/2026
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 35/2014

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2014/00258

वादी

मेवाराम पुत्र चुनीलाल
कौम घांची
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1 ओमप्रकाश पुत्र चुनीलाल कौम घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
2 मगराज पुत्र चुनीलाल कौम घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
3 हड़मानाराम पुत्र धन्नाराम कौम विश्नोई निवासी कुड़ी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
4 निम्बाराम पुत्र धन्नाराम कौम जाट निवासी रामदेरिया तहसील बायतु
5 राणाराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा
6 उदयदान पुत्र पाबूदान जाति चारण निवासी रेवाड़ा बारठान तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
7 दलपतसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा
8 तुलसाराम पुत्र मेहराराम जाति जाट निवासी गुजरो की ढाणी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
9 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद बाबतः–88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 35/2014
निर्णय दिनांक :–28.1.2026

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी की ओर से श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 8 की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 9 एकतरफा इस वाद में आज तारीख 28.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** कि:—वादी वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1049/407 रकबा 6.17 बीघा व खसरा संख्या 1071/407 रकबा 8.05 बीघा कुल रकबा 15.02 बीघा भूमि में मृतक चुनीलाल द्वारा बक्सीस हिस्से से अधिक को शून्य एवं अप्रभावी घोषित करते हुए हक हिस्सा रकबा 3.16 बीघा भूमि में आधा हिस्सा वादी व आधा हिस्सा प्रतिवादी मगराज की खातेदारी घोषित की जाती है। शेष रकबा 11.06 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का बहिस्सा बराबर रहेगा, लेकिन वादग्रस्त भूमि में से बेचान रकबा विक्रेता के खाते मे से कम होगा। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।

यह आज तारीख 28.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

28/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	—	2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	————
जोड़	—	जोड़	———

28/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा